



चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं० 0141-2221812,
ई-मेल :- pcpondt-rj@nic.in



क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / एल०ए० / GOI / 2018 / 564

दिनांक : 5/7/18

समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी),
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड में लिये गये निर्णयों की अनुपालना बाबत।

संदर्भ:- अवर सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक V.11011/8/2017-PNDT(Pt.1) दिनांक 01.06.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना बाबत अवर सचिव, भारत सरकार से प्राप्त पत्र प्रेषित कर लेख है कि पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(संलग्न :- उपरोक्तानुसार)

(नवीन जैन)
अध्यक्ष,

राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं (प०क०) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान।
7. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
9. सेन्ट्रल सर्वर रूम।
10. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं (प०क०) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय मिशन निदेशक
राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 80 दिनांक 12/6/18

MD NDM

No. V.11011/8/2017-PNDT (Pt. 1)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
PNDT Division

Nirman Bhawan, New Delhi
June 1st, 2018

8-6-18

To,

The Principal Secretary Health,
All States/ UTs.

Dak No. 7064 CS/M&H/2018
Date 11-6-18

Subject: Decision taken in 26th meeting of the Central Supervisory Board (CSB) held on 24th January, 2018 under the chairmanship of Hon'ble Minister of Health & Family Welfare.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to forward herewith the minutes of the 26th meeting of the Central Supervisory Board (CSB) (constituted under pre-conception and prenatal Diagnostic Techniques Act (PC & PNDT Act, 1994) held on 24/01/2018 under the chairmanship of Hon'ble Minister of Health & Family Welfare.

The Central Supervisory Board (CSB), in its 26th meeting held on 24/01/2018 has made following recommendation-

"All the facilities engaged, either partly or exclusively in counseling or conducting the diagnostic techniques/test/procedures with the potential of sex selection are required to be registered under the PC & PNDT Act."

The proposal was considered and accepted by the CSB to resolve the confusions related to the registration of ultrasound facilities used for ophthalmology, echocardiography, urology and others. After the deliberations, it was concluded that the diagnostic machines have possibility of up-gradation and there is a likelihood of attaching multiple probes in the ultrasound machines, hence could be misused to detect the sex of the fetuses. "

In view of the above recommendation, it is requested to take further necessary steps in this regard.

(Ajay Kumar)

Under Secretary to Government of India
Tel-011 23061883

Enclosure - As above
Copy to: All State Appropriate Authorities

